संक्षिप्त

छात्र-छात्राओं को जागरूक किया

निवाई/गुंसी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चनानी में सदर थाना पुलिस ने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी दी। पुलिस ने छात्र-छात्राओं को महिला और बाल अपराध से बचाव के तरीके बताएं। उप निरीक्षक एवं गुंसी चैकी प्रभारी हरिमन मीणा ने साइबर अपराध, रोड सेफ्टी ओर सोशल मीडिया के दुरुपयोग से जुडी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। साइबर एक्सपर्ट दिनेश प्रजापत ने डिजिटल धोखाधडी से बचने के तरीके बताएं। उन्होंने बिना ड्राइविंग लाइसेंस एवं हेलमेट के बिना वाहन नहीं चलाने के लिए प्रेरित किया। अनाधिकृत लिंक पर क्लिक नही करें और अजनबी कॉल से सावधान रहे। कानि. लक्ष्मी नागरवाल ने बालिकाओं को सेक्सटॉर्शन जैसे अपराधों से बचाव की जानकारी दी। उन्होंने बालिका सुरक्षा के लिए वूमेन पावर हेल्पलाइन नम्बर, साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री हेल्पलाई एवं पुलिस आपातकाल हेल्पलाईन नंबर की जानकारी दी।

2 दिवसीय मेला 1 मई से

मनोहरपुर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजरत शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्ला आलेह का पीर का चिल्ला नायन अमरसर पर उर्स मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 1 मई शुक्रवार को बाद नमाज़ असर मिलाद शरीफ से शुरू होकर 3 मई सोमवार की प्रात:काल 4 बजे कूल की रस्म के साथ मे विधिवत सम्पन होगा। दरगाह के ख़ादिम मोहम्मद इमरान मलिक ने बताया कि 1 मई शुक्रवार को बाद नमाज ए असर मिलाद शरीफ होगी जिसमें ख़ुदा के हुकम व मुहम्मद साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने की बात कही जाएगी! इसी के साथ मे हिन्दू मुस्लिम जायरिनो का आना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार दिनांक 2 मई शनिवार को लंगर भंडारा शाम 4 बजे से शुरू होगा जिसमे हिन्दू मुस्लिम जायरीन बड़े ही अदब के साथ में लंगर प्रसादी लेंगे।

अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

निवाई। पुलिस ने अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। थानाधिकारी घासीराम मीणा ने बताया कि एसपी राजेश कुमार मीना के निर्देशन में एडीषनल एसपी रतनलाल भार्गव व डीवाईएसपी रविप्रकाश शर्मा के सुपरविजन में पुलिस द्वारा अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने अवैध बजरी से भरे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया। उन्होंने बताया कि चालक फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक और मालिक के विरुद्ध एमएमडीआर एक्ट का मामला दर्ज करके अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को सुरक्षार्थ पुलिस थाने में खड़ा करवा दिया है।

राजीनामा योग्य मामलों के निस्तारण के लिए समझाइश

फुलेरा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) माधवी दिनकर के निर्देशन में तथा तालुका विधिक सेवा समिति सांभरलेक के अध्यक्ष (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) अरविन्द कुमार जांगिड़ के मार्गदर्शन में राजीनामा योग्य मामलों के निस्तारण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगरपालिका मंडल फुलेरा के सभागार में आयोजित ग्राम न्यायालय सांभर लेक की न्यायाधिकारी भानुप्रिया सेहरा ने फुलेरा एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए समझाइश दी। उन्होंने प्री-लिटिगेशन एवं राजीनामा योग्य प्रकरणों को आपसी समझौते के माध्यम से सुलझाने के लाभ बताए।

खोया पाया

मेरे फ्लैट नं- 75/06 ग्राउंड फ्लोर आवासीय योजना- मानसरोवर जयपुर का राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर से जारी मूल आवंटन-पत्र, कब्ज़ा पत्र, अदेय प्रमाण पत्र, कन्वेयंस डीड, परि पिच्युअल लीज, विक्रय पत्र एवंम अन्य समस्त मूल दस्तावेज़ कही गुम हो गये है सूचित करे- अंजली शर्मा मो. 7726051555

नम्बर मिलाइए 9587884433

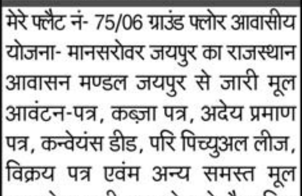

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

'केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान हमारा गौरव'

गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी द्वारा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित 43वीं सारस गणना कार्यक्रम में भाग लिया।

- पिछले 43 वर्षों से सारस गणना का यह सतत कार्य पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है : गृह राज्यमंत्री

भरतपुर । गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेड़म मंगलवार को भरतपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी द्वारा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित 43वीं सारस गणना कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अध्यक्षता केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार एडवोकेट ने की। गृह राज्यमंत्री ने कहा कि पिछले 43 वर्षों से सारस गणना का यह सतत कार्य पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि भरतपुर, राजस्थान और देश की राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण, विकास और समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी अध्यक्ष एड. कृष्ण कुमार एडवोकेट को बधाई देते हुए कहा कि वर्षों से पक्षियों एवं वन्यजीवों की इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित किया जा रहा है, जो हमारी संस्कृति, परंपरा और इतिहास को सहेजने का महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे न केवल प्रकृति का संरक्षण होता है, बल्कि मानव जीवन का संतुलन भी बना रहता है।

राज्यमंत्री ने कहा कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान हमारा गौरव है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि साइबेरियन सारस की संख्या में कमी एक गंभीर विषय है, जिसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग, कम वर्षा और जल की कमी है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यटन विकास के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार के साथ-साथ बंध बारैठा, डीग जल महल, धार्मिक स्थलों एवं अन्य धरोहरों को देखने देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को गाइड, होटल और टैक्सी जैसी सेवाओं के माध्यम से रोजगार प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि वैर के सफेद महल एवं फुलवाडी के सौंदर्यकरण और जीर्णोद्धार के कार्य जारी हैं, वहीं बंध बारैठा में बायोलॉजिकल पार्क एवं नगर वन विकसित किए जा रहे हैं।

राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भरतपुर के समग्र विकास हेतु अनेक परियोजनाएं प्रगतिरत हैं। उन्होंने बताया कि एक महत्वपूर्ण जल परियोजना के अंतर्गत भरतपुर, सीकरी, बंध बारैठा बांध, धौलपुर, अलवर सहित पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों को जोड़ा गया है, जिससे सिंचाई, पेयजल, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच एमओयू हो चुका है तथा प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो गया है, जबकि द्वितीय चरण के टेंडर प्रक्रिया में हैं।

इस अवसर पर राज्यमंत्री ने डॉ. एमएम त्रिगुणायत एवं डॉ. कृतिका त्रिगुणायत द्वारा लिखित पुस्तक पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी का विमोचन भी किया। कार्यक्रम के उपरांत राज्यमंत्री ने सारस के नवजात चूजों को देखा तथा उनकी देखभाल के लिए वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डीएफओ चेतन कुमार बीवी ने बताया कि 43वीं सारस गणना रिपोट घना पक्षी विहार में साईबेरियन सारस संख्या 22 और भरतपुर व डीग जिले के वेटलेण्ड क्षेत्र में 79 से बढ़कर 81 हो गई है।

इस मौके पर डीटीओ अभय मुदगल, समिति संरक्षक काका रघुराज सिंह, अध्यक्ष कृष्ण कुमार एडवोकेट, चीफ कोऑर्डिनेटर आनंद शर्मा, पूर्व डीएफओ पुष्पेंद्र खुंटेला सहित वन्यजीव प्रेमी, विद्यार्थी, संबंधित विभागों के अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने निरीक्षण किया

टोंक। राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के तहत जिले में प्रगतिरत कार्यो की स्थिति एवं गुणवत्ता को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर टीना डाबी ने फील्ड विजिट किया। इस दौरान एडीएम रामरतन सौंकरिया भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने जिला मुख्यालय पर नगर परिषद द्वारा खेल स्टेडियम के समीप बनवाए जा रहे पिंक टॉयलेट की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। साथ ही अधिशाषी अभियन्ता फतेह सिंह को निर्देश दिए कि इस कार्य को 15 दिन में पूर्ण करें। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टोंक के निरीक्षण के दौरान प्राचार्य लोकेश कुमार शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय के पुनर्निर्माण कार्य को कृषि मॉर्केटिंग बोर्ड द्वारा 4 करोड़ 57 लाख की राशि से करवाया जा रहा है। पुनर्निर्माण का कार्य समाप्ति की ओर है।

जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत गहलोद में आरएसआरडीसी द्वारा निर्माणाधीन राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान परियोजना निदेशक गोविन्द विश्नोई को कार्य पूर्णता तिथि 30 जून 2026 तक इस कार्य को पूरा करने के लिए निर्देशित किया।

'श्रमिक कल्याण उपकर के संग्रहण की गति बढ़ाएं'

- श्रम, कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण विभाग की संभाग स्तरीय बैठक
- अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं : शासन सचिव

दौसा। श्रम, कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर का संग्रहण निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने तथा अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। वे मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट में जयपुर संभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।

शासन सचिव ने उपकर संग्रहण की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अधिकतम उपलब्धि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही से ही लक्ष्य अर्जन की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं तथा निजी क्षेत्र से उपकर संग्रहण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की पृथक समीक्षा करते हुए सर्वे, एसेसमेंट ऑर्डर, उपकर संग्रहण एवं लंबित वसूली प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक माह निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपकर संग्रहण में वृद्धि के लिए सतत मॉनिटरिंग रखें, फील्ड में सक्रिय उपस्थिति बनाए रखें तथा दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक लक्ष्यों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करें। श्रम कल्याण बोर्ड की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिकों तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाना विभाग की प्राथमिकता है। इसके लिए संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए अधिकाधिक श्रमिकों का पंजीयन एवं लाभ देना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कम प्रगति वाली योजनाओं में हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने तथा निर्माण श्रमिकों के लिए सुरक्षा मानकों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रेच्युटी से संबंधित तीन माह से अधिक पुराने प्रकरण लंबित नहीं रखने पर बल दिया।

लेबर चौक फैसिलिटेशन सेंटर की प्रगति की समीक्षा करते हुए शासन सचिव ने प्रत्येक जिले में प्रारंभिक चरण में पांच-पांच लेबर चौक विकसित करने के निर्देश दिए। कारखाना एवं बॉयलर विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने बॉयलर्स का नियमित निरीक्षण, सुरक्षा मानकों की सख्त पालना तथा हैवी ड्यूटी बॉयलर्स पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए।

मलेरिया दिवस पर होगा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन

टोंक। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आगामी 25 अप्रैल, शनिवार को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाएगा। इस दिन विभाग की ओर से जिले में कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शैलेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि सभी बीसीएमओ और चिकित्सा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए है कि मलेरिया दिवस के तहत निदेशालय के निर्देशानुसार गतिविधियों का आयोजन करें। इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस की थीम षड्रिवन टू एंड मलेरिया नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट रखी गई है। डॉ. चौधरी ने बताया कि विश्व मलेरिया दिवस पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बुखार के रोगियों की ब्लड स्लाइड एकत्रित की जाएगी। आमजन को जागरूक करने के लिए जनजागरूकता रैलियों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही चिकित्सा संस्थानों में में लार्वा प्रदर्शन कर आमजन को मच्छरों की व्युत्पत्ति संबंधित जानकारी दी जाएगी।

दस्तावेजों के रखरखाव व साफ़-सफाई बेहतर करने के निर्देश

जिला कलैक्टर ने किया नगर परिषद कार्यालय कोटपुतली का निरीक्षण किया।

कोटपूतली । जिला कलक्टर अपर्णा गुप्ता ने मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं आवश्यक निर्देश प्रदान किए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर परिषद कोटपूतली ओमप्रकाश सहारण भी मौजूद रहे।

जिला कलेक्टर ने नगर परिषद के भूमि शाखा, जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन शाखा, रिकॉर्ड रूम, नगरीय विकास कर शाखा सहित अन्य शाखाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारी से किए जा रहे कार्यों एवं आमजन को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश प्रदान किए। उन्होंने संधारित दस्तावेजों एवं पत्रावलियों की जांच कर इन्हें ऑनलाइन इंद्राज करने और ई-फाइल के माध्यम से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने रिकॉर्ड रूम में सही से दस्तावेज संधारित नहीं करने पर संबंधित को फटकार लगाते हुए रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने को कहा।

जिला कलक्टर ने नगर परिषद को शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने, कचरा निस्तारण व्यवस्था, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, नियमित डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था, सड़को पर सफाई, लाइट्स, जल निकासी आदि के कार्य गुणवत्ता के साथ करने हेतु संबधित को पाबंद करने को कहा एवं अधिकारी फील्ड में रहकर सफाई कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

तीन दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित

कोटपुतली। आगामी जनगणना 2027 को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी अर्पणा गुप्ता ने मंगलवार को नगर परिषद सभागार में आयोजित तीन दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन फील्ड ट्रेनर्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार जनगणना का कार्य पूरी तरह डिजिटल मोड में संपन्न होगा। जनगणना कार्य में जुटे प्रगणक इस बार कागजों के बजाय मोबाइल फोन के जरिए डिजिटल रूप से डेटा इकट्ठा करेंगे।

नागरिकों के लिए पहली बार स्वयं जनगणना करने का विकल्प उपलब्ध होगा। 1 मई से 15 मई तक आम नागरिक ऑनलाइन माध्यम से पूछे गए 33 सवालों के जवाब देकर खुद को जनगणना प्रक्रिया में शामिल कर सकेंगे। मास्टर ट्रेनर्स डॉ. सुभाष चंद यादव एवं आलेख कौडिन्य ने बताया कि डेटा की सुरक्षा और निगरानी के लिए जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली पोर्टल का उपयोग किया जाएगा।

प्रशिक्षण में बताया गया कि प्रारंभिक चरण में मकानों की सूची तैयार करने और उनकी गणना का कार्य होगा। इसके बाद दूसरे चरण में जनसंख्या की वास्तविक गणना की जाएगी। जिला जनगणना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश सहारण ने फील्ड ट्रेनर्स को निर्देश पुस्तिका का गहन अध्ययन करने और अपनी सभी तकनीकी शंकाओं को दूर करने की सलाह दी। उप जिला जनगणना अधिकारी बाबूलाल बैरवा ने आगामी तैयारियों की विस्तृत रूपरेखा साझा की। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 से 15 मई के बीच होने वाली स्व-गणना प्रक्रिया के लिए आम जनता को अधिक से अधिक जागरूक और प्रेरित किया जाए।

भीषण गर्मी में जल-संकट को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा

ग्रामीणों ने पंचायत समिति सदस्य नेमीचंद कुमावत के नेतृत्व में मंगलवार को जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता, सांभरलेक को ज्ञापन सौंपा।

- ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो गांव की जनता के साथ मिलकर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा

फुलेरा। भीषण गर्मी के चलते बढ़ती जल समस्या को लेकर ग्राम पंचायत काचरोदा के ग्रामीणों ने पंचायत समिति सदस्य नेमीचंद कुमावत के नेतृत्व में मंगलवार को जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता, सांभरलेक को ज्ञापन सौंपकर अपनी पेयजलापूर्ति समस्याओं से अवगत करवाया। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि पंचायत के राजस्व ग्राम काचरोदा, दयालनगर और श्याम नगर में तीन-चार दिन के अंतराल से पानी की सप्लाई की जा रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि अनियमित जल आपूर्ति के कारण उन्हें महंगे दामों पर पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं, जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके अलावा कई स्थानों पर पानी की पाइप लाइन टूटी हुई है, जिससे पानी व्यर्थ बह रहा है और समस्या और गंभीर बन रही है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि जल जीवन मिशन के तहत कई जगह पाइप लाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन सही मिलान नहीं होने के कारण अब तक घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। वहीं सहायक अभियंता द्वारा जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठाने की शिकायत भी सामने आई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो गांव की जनता के साथ मिलकर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य नेमीचंद कुमावत, वार्ड पंच हेमराज कुमावत और भाजपा महामंत्री दीपक महाराज सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।

Govt. of Rajasthan-Education Department
MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL
Shikarpura (Sanganer City) Jaipur
(Co-Education English Medium School)

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक-29
Letter No.-MGGS/Shrikarpura/JP/29
Dated-20/4/26

जिशिअ (मा.शि.) जयपुर के आदेश क्रमांक जिपस/जय/2025-26/1098 की अनुपालना में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, शिकारपुरा सांगानेर जयपुर के 3 कमरे, शौचालय व अन्य को जमीदोज करने हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से खुली बोली की निविदा दिनांक 5/5/26 को दोपहर 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है, दिनांक 6/5/26 को प्रातः 10 बजे निविदा खोली जाएगी। निविदा की शर्तों का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकेगा। निविदा से सम्बन्धित समस्त अधिकार SDMC, MGGS शिकारपुरा में निहित होगे।

अध्यक्ष सचिव
विद्यालय विकास प्रबन्धन समिति
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय
शिकारपुरा, सांगानेर शहर, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/545
चूंकि प्रार्थी श्री श्री विष्णु कुमार गुप्ता, ए-14, थर्ड फ्लोर, कल्याण कुंज, आचार्य विनोबा भावे नगर, नर्सरी सर्किल के पास, वैशाली नगर, जयपुर-302021 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री सेंथलवास माता चैरिटेबल ट्रस्ट, प्लाट न. 37 अर्पित नगर, गांधी पथ पुलिया के पास, वैशाली नगर, जयपुर 302021 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 23/06/2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

नाम परिवर्तन

मैं राजेश गिरी गोस्वामी पुत्र श्री शंकर गिरी निवासी 308, फ्लैट न.102, सिन्धी कॉलोनी, जवाहर नगर, जयपुर। मैंने अपना नाम राजेश गोस्वामी से बदलकर राजेश गिरी गोस्वामी (RAJESH GIRI GOSWAMI) रख लिया है। भविष्य में मुझे राजेश गिरी गोस्वामी के नाम से जाना जाये।

मैं भारती गिरी गोस्वामी पत्नी श्री राजेश गिरी गोस्वामी निवासी 308, फ्लैट न.102, सिन्धी कॉलोनी, जवाहर नगर, जयपुर। मैंने अपना नाम भारती गोस्वामी से बदलकर भारती गिरी गोस्वामी (BHARTI GIRI GOSWAMI) रख लिया है। भविष्य में मुझे भारती गिरी गोस्वामी के नाम से जाना जाये।

मै, पी. गायत्री पुत्री डॉ. पी.बाबु राव, उप- महानिदेशक एवं राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, शासन सचिवालय, सी-स्कीम, जयपुर निवासी फ्लैट नं.101, रॉयल असाइन, रूप नगर, हरी मार्ग, सिविल लाइन्स, जयपुर, अपना नाम बदलकर गायत्री पांडुरंगी रखती हूं।

मैं कोमल गिरी गोस्वामी पुत्री श्री राजेश गिरी गोस्वामी निवासी 308, फ्लैट न.102, सिन्धी कॉलोनी, जवाहर नगर, जयपुर। मैंने अपना नाम कोमल गोस्वामी से बदलकर कोमल गिरी गोस्वामी (KOMAL GIRI GOSWAMI) रख लिया है। भविष्य में मुझे कोमल गिरी गोस्वामी के नाम से जाना जाये।

I have changed my son name and DOB from Rajvansh Chouhan, 08.12.2008 to Rajvansh Singh Chouhan, 12.08.2009 for all purpose and 10th CBSE marksheet. Vinita Chouhan W/o Rajveer Singh Chouhan R/o B-54, Dev Nagar, Gopalpura bypass Tonk Road Jaipur.

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्री राम निवास सोनी पुत्र श्री स्व. पूरण मल सोनी उम्र- 55 वर्ष एवं उनकी पत्नी श्रीमती सरोज सोनी, उम्र- 52 वर्ष, निवासी- मकान संख्या 70/269 व 70/270 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर (राज.) है, का बेटा राकेश सोनी एवं उसकी पत्नी कान्ता उर्फ रेखा सोनी के द्वारा मेरे अभिभाष्यगण के साथ अत्यधिक गलत व्यवहार किया जाता है जिससे परेशान होकर मेरे अभिभाष्यगण ने राकेश सोनी, उसकी पत्नी कान्ता उर्फ रेखा सोनी एवं अपने पौत्र रिषिक सोनी से सभी सम्बन्ध तोड़ लिए है तथा इन्हें अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। यदि इनमें से किसी के द्वारा मेरे अभिभाष्यगण की सम्पत्ति के बाबत कोई संव्यवहार किया जाता है तो वह अमान्य होगा। सूचित रहे।
(क्षितिज पाल सिंह) एडवोकेट
दिनांक 20/04/2026 मो. : 9214510148

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल वृत अलवर
-:आवश्यक सूचना:-

मूलत: आवास संख्या 4/200, एन.ई.बी. विस्तार योजना, अलवर जो कि श्री श्याम नारायण माथुर पुत्र स्व. श्री नारायण प्रसाद माथुर को आवंटन पत्रांक 2275 दिनांक 29.10.1997 के द्वारा आवंटित किया गया था। आवास का अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 2239 दिनांक 17.11.1998 को श्री श्याम नारायण माथुर के नाम जारी कर दिया गया। श्री श्याम नारायण माथुर द्वारा आवास की रजिस्ट्री स्वयं के नाम से दिनांक 12.06.2007 को उप पंजीयक कार्यालय अलवर में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्री श्याम नारायण माथुर द्वारा आवास का बेचान जर्ये पंजीकृत बयनामा दिनांक 18.06.2007 को श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र भारतीय को कर दिया गया। मण्डल द्वारा आवास का लीज हस्तांतरण पत्रांक 498 दिनांक 13.05.2008 को श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र भारतीय के नाम जारी कर दिया गया था। श्रीमती कौशल्या देवी द्वारा आवास का बेचान जर्ये पंजीकृत बयनामा दिनांक 20.01.2026 को श्रीमती अंकिता निर्वाण पत्नी श्री सचिन को कर दिया गया। श्रीमती अंकिता निर्वाण द्वारा उक्त आवास का मण्डल नियमानुसार लीज हस्तांतरण किये जाने हेतु दस्तावेज एवं शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है।
अत: जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 4/200, एन.ई.बी. विस्तार योजना, अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एंव आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती अंकिता निर्वाण पत्नी श्री सचिन के पक्ष में आवास के लीज हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।
उप आवासन, आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

MUNICIPAL CORPORATION JAIPUR
(Pandit Deendayal Uppadhyay Bhawan Lalkothi Tonk Jaipur 302015)
No. F-6()DCR-FIRST (J.S)/RO.LIC/N.N.J/2026/975 Date : 20-04-2026

PUBLIC NOTICE

The licensee M/s/ Indus Tower Limited Jaipur (Particulars of Licensee) has submitted application in this office for granting permission for erection/ installation of telecom tower aboveground telegraph infrastructure on the land or building or location mentioned below :-

Sr. No.	Site ID	Address
1	IN 3531476	Row Outside Jyoti Ba Phule Park, A-Block, Opposite of Plot No.A-493, Malviya Nagar, Ward No.131, Jaipur

Therefore, it is hereby informed to all concerned that if, any body has any objection or suggestion on granting permission for installation or establishment of above mentioned telecom infrastructure on the land/location above, he may submit objection or suggestion along with supporting documents before the undersigned during office hours on any working day within 7 days of the publication of this notice.
In absence of any objection/ suggestion within above stipulated time it any be deemed that nobody has objection/suggestion and matter will be disposed off accordingly.
Deputy Commissioner (Revenue-I)
Municipal Corporation, Jaipur

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनूसूची संख्यांक 4
न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश क्रम-2 जयपुर महानगर द्वितीय
समुंदर सिंह राठौड विरूद्ध संगीता कुमारी बाजा
वाद/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना-पत्र संख्या 01 सन् 26

नाम संगीता कुमारी बाजा पुत्री स्व. मनसुख लाल जाति.... पता 263, बी.के.कालनगर, अम्बे विहार, फॉय सागर रोड अजमेर
उक्त... ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि...
अतः अपाको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 27 माह 04 सन् 2026 को 10 ए.एम. पूर्वान्हे में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो उपसंजात हो । यदि आप ऐसा करने मे असफल रहेगें तो उत्तआदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा
यह आज दिनांक 09 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर
अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02 जयपुर महानगर द्वितीय

विवाद्यको के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
नाम न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश क्रम-2 जयपुर महानगर द्वितीय
समुंदर सिंह राठौड विरूद्ध संगीता कुमारी बाजा
वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
वाद सं. 01 सन् 26

नाम संगीता कुमारी बाजा पुत्री स्व.श्री मनसुख लाल जाति... स्थान 263, बी.के.कालनगर, अम्बे विहार, फॉय सागर रोड अजमेर
...ने आपके विरूद्ध.... के लिये वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में दिनांक 27 माह 04 सन् 2026 को दिन में 10.00 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्तिहो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता हैं कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मेंसाक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता हैं कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 09 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02 जयपुर महानगर द्वितीय

कार्यालय ग्राम पंचायत गोठडा, पंचायत समिति- खण्डार
जिला- सवाई माधोपुर
क्रमांक:-2026-27/07 दिनांक 17/04/2026
ई-निविदा सूचना संख्या -01/2026-27
पंचायत समिति, खण्डार के अधीन ग्राम पंचायत गोठडा में विभिन्न योजना में स्वीकृत कार्यो हेतु निर्माण सामग्री की आपूर्ति की जानी है इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया से सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से ऑनलाईन निविदाए आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित नियम, शर्ते व सम्बन्धी दस्तावेज लोक उपापन की वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखें एवं डाउनलोड किये जा सकते है।
NIB No.ZSM2627A0037
UBN No. ZSM2627GLOB00061
प्रशासक ग्राम पंचायत गोठडा
ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गोठडा

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
वाहन किराए पर लेने हेतु ई-बोली की आवश्यक सूचना
राजस्थान विश्वविद्यालय में मांग के आधार पर **किराये पर वाहन लेने के लिये** इच्छुक बोलीदाताओं से दर संविदा **(02 वर्ष)** हेतु **दिनांक 30.04.2026 समय 1:00 बजे (अपराह्न)** तक ऑनलाईन बोली आमंत्रित की जाती है। बोली प्रपत्र एवं अन्य शर्तें **http://eproc.rajasthan.gov.in, www.uniraj.ac.in** एवं **http://sppp.rajasthan.gov.in** पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। (Approximate value of the procurement in **Rs. 100 Lakh**)
UBN: URA2627SLRC00010 dated 21.04.2026.
NIBCODE: URA2627A0008
कुलसचिव

प्ररूप-10 नियम 6 (7) देखिए
प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगरपालिका मण्डल, देवली (टोंक) राज.
क्रमांक-न.पा.दे.कृषि भूमि/2026-27/103 **लोक सूचना** दिनांक :- 21/04/26
श्री गोरधन लाल मोरलिया पुत्र श्री छीतर, निवासी रेगर मोहल्ला, देवली गावं, तह, देवली जिला टॉक ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिघृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	रकबा/क्षेत्र	मास्टर प्लान में दर्शित भू-उपयोग	भू-उपयोग परिवर्तन का प्रकार
तह. देवली जिला टोंक	देवली गांव	1246	0.14 है.	परिधि नियन्त्रण पट्टी आवासीय	परिधि नियन्त्रण पट्टी आवासीय से आवासीय भू उपयोग परिवर्तन की जानी है।

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 20.04.2026 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका देवली